बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC/04/2021- 631

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
राँची, पिन–834002

पटना 14, दिनांक– 04/09/2023

विषय– श्री राजेश कुमार द्वारा खगड़िया जिलान्तर्गत भादस मौजा के खाता संख्या–1008, खेसरा संख्या–3586, थाना अलौली में चातर चौक–संतोष ब्रिज पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.024 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक FP/BR/Others/117859/2020(pt.)/637, दिनांक 21.10.2022 एवं प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 354, दिनांक 01.03.2023 एवं पत्रांक 945, दिनांक 09.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक FP/BR/Others/117859/2020(pt.)/637, दिनांक 21.10.2022 द्वारा की पृच्छाओं का निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत् है–

क्र० सं०	पृच्छा	निराकरण
1	As per the DSS/technical analysis of the area, apparently work in violation of FC Act has been done within the proposed forest area for diversion. Therefore, current/fresh site inspection report of the concerned DFO with special emphasis on the observation may be uploaded.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 354, दिनांक 01.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित अपयोजन स्थल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा आगम एवं निगम पथ के आंशिक भाग में मिट्टी भड़ाई का कार्य किया गया है। अतएव प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा उल्लंघन किया गया है, जिसकी विस्तृत अपराध प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 945, दिनांक 09.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
2	Further, DSS analysis reveals that the forest land proposed for diversion falls under an inland natural wetland (Waterlogged). Therefore, the concerned DFO should clarify the actual site-situation and if required, *the Chief wildlife warden's* comments may supplement the DFO's recommendation.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 354, दिनांक 01.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि विषयक प्रस्ताव में वेटलैण्ड संबंधित मामला नहीं है।

अतएव अनुरोध है कि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा किये गये उल्लंघन के आलोक में Penal NPV के साथ विषयक प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा सकती है।

अन०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153125

ज्ञापांक– FC/04/2021- 631 दिनांक– 04/09/2023

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC/04/2021- 631 दिनांक– 04/09/2023

प्रतिलिपि : श्री राजेश कुमार, पिता–श्री प्रमोद सिंह, ग्राम+पो० RK चातर, थाना–अलौली, जिला–खगड़िया, पिन–851204 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/9/23

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

"बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय"

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय
851101, Mob: 8210505454 (Email : dfobegusarai@gmail.com & divfobegusarai-bih@gov.in)

पत्रांक– 945 ......, बेगूसराय, दिनांक– 9/8/2023

प्रेषक,

रविन्द्र कुमार रवि, बि0व0से0
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
कार्यालय– प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग),
बिहार, पटना।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
प्राप्ति संख्या 739
दिनांक 16/08/2023
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

विषय– श्री राजेश कुमार द्वारा खगड़िया जिला अन्तर्गत भदास मौजा के खाता स0– 1008, खेसरा नं0– 3586, थाना – अलौली चातर चौक संतोष ब्रिज पथ के किनारे H.P.C.L का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग – भवदीय पत्रांक– 248 दिनांक– 10.04.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा किये गये उल्लघंन के क्रम मे वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा वन अधिनियम, 1927 के तहत कार्रवाई का विस्तृत अपराध प्रतिवेदन संख्या– PR No. – 01P/23-24 समर्पितकिया गया है। जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

9.8.23

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय

BIHAR FOREST

PRNo. 01P/23-24.

Divisional Forest Officer.Begusarai forest division, Begusarai.

Offence Report No 1302 Dated 31.05.2023

Name of the Offence – सुरक्षित वन पथ में मिट्टी भराई का कार्य करना ।

Date and hour of detection – 31/05/2023 को 7:10 बजे पूर्वाहन में ।

Place of Occurrence – सुरक्षित वन पथ चातर एवं संतोषपुर पुल के बीच के पथ के किनारे।

By whom detected – विकास कुमार, वनरक्षी अलौली उप परिसर

Reference to Sections of the Forest Act and Indian Penal Code

To be filed in by the D.F.O. Begusarai Forest Division, Begusarai.

Name of Accused

Name	Father's Name	Village	Place of Residence Thana District
1.राजेश कुमार सिंह	प्रमोद सिंह	चातर	अलौली, खगड़िया।

Name of Witnesses

1. राज कुमार सिंह ,वनपाल, खगड़िया वन प्रक्षेत्र।
2. विकास कुमार, वनरक्षी,अलौली उप परिसर।
3. धर्मेन्द्र पासवान,पे० स्व० रामनदन पासवान,ग्राम– परमानंदपुर,थाना– चित्रगुप्त नगर,जिला– खगड़िया।

915
25/07/23

Full Report of all the Facts in Details

To be framed not Later than the day after the occurance

सेवा मे,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रमंडल,बेगूसराय।

द्वारा :– उचित माध्यम।

विषय :– अपराध प्रतिवेदन सं0 1302 दिनांक 31.05.2023 से संबंधित अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध मे सादर सूचित करना है कि श्री विकास कुमार, वनरक्षी, अलौली उप परिसर दिनांक 31.05.2023 को पूर्वाहन अधिसूचित वन पथ खगडिया से अलौली का भ्रमण एवं गश्ती का कार्य कर रहे थे। भ्रमण के दौरान चातर एवं संतोषपुर पुल के बीच में पथ के किनारे मिट्टी भराई का कार्य किया पाया। आस–पास के ग्रामीणों से पूछताछ करने पर पता चला कि यह मिट्टी भराई का कार्य राजेश कुमार सिंह पिता– प्रमोद सिंह, ग्राम– चातर, थाना– अलौली,जिला– खगडिया के द्वारा किया गया है।

वनरक्षी के अपराध प्रतिवेदन सं0 1302 दिनाक 31 / 05 / 2023 का अनुसंधान मेरे द्वारा 06 / 06 / 23 को प्रारंभ किया गया । अनुसंधान के क्रम में वनरक्षी के माध्यम से घटना स्थल अलौली उप परिसर के खगड़िया– अलौली पथ के चातर एवं संतोषपूर पुल के बीच में पहुँचा तो देखा की घटना स्थल में आंशिक मिट्टी भराई किया गया है। उक्त भूमि का मापी लेकर नक्शा बनाया गया। अभियुक्त के द्वारा 2500 वर्गफीट भूमि का अपयोजन किया गया है। उक्त भूमि में लगभग 10 पौधा लगाया जा सकता था। अभियुक्त को वनरक्षी के माध्यम से घटना स्थल पर बुलवाया गया। अभियुक्त के द्वारा बतलाया गया कि जानकारी के अभाव में भूलवश मिट्टी भराई का कार्य किया गया है। भविष्य मे ऐसी गलती नहीं करूँगा।

इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 89) की धारा 33, का उलंघन कर गैर जमानतीय एवं दण्डनीय अपराध किया गया है।

खगड़िया–अलौली पथ सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है जिसका अधिसूचना सं0–97 / 91 189ई0 / 190ई0 दिनांक 16.02.1994 है।

अतः अभियोजन प्रतिवेदन के मुख्य पृष्ट पर अंकित अभियुक्त के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अपयोजित भूमि – 2500 वर्गफीट	
राजस्व –	5000 / –रूपये
क्षतिपूर्ति 2गुणा –	10000 / –रूपये
कुल	15000 / –रूपये

विश्वासभाजन,
राजा कुमार सिंह
26-06-2023
वन परिसर पदाधिकारी।
खगडिया वन परिसर।

अनुलग्नकः–
1.अपराध प्रतिवेदन सं0 1302 दिनांक 31.05.2023
2.अभियुक्त का व्यान
3.नक्शा।

Schedule XVIII- From No. 21A

जंगल विभाग, बिहार

1302

डिवीजन

नोटः- यह रिपोर्ट पकड़े जाने के २४ घंटे के अन्दर दाखिल करना चाहिये।

जुर्म नम्बर

तारीख 31/05/2023

१. घटना स्थान - चातर एवं संतोष पुल के बीच रोड के किनारे

२. पकड़ने का समय और तारीख 07:10 AM पर दिनांक 31/05/2023

३. नाम अपराधी और उसके पिता का नाम - राजेश कु० सिंह पिता - प्रमोद सिंह

और पता- ग्राम - चातर, थाना - अलौली

४. जप्ती माल, अगर कोई

५. जप्ती माल का जिम्मेवार

६. नाम गवाह और उसके पिता का नाम - धर्मेन्द्र पासवान पिता - स्व० रामनंदन पासवान

और पता- ग्राम - परमानंद पुर, पोस्ट - कोशी कॉलेज थाना - मुफस्सिल जिला - खगड़िया

राम कुमार 01-06-2023 व०प०पा०

७. तफसील और बयान जुर्म-

सेवा में

श्रीमान वन परिसर पदाधिकारी

खगड़िया

विषय:- खगड़िया से अलौली पथ के किनारे अवैध मिट्टी भराई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ मे सादर सूचित करना है कि आज दिनांक 31/05/23 को क्षेत्र भ्रमण के

मे पाया गया कि चातर एवं संतोष पुल के बीच (सुल्तान-
अलौली पथ) के किनारे अवैध तरीके से मिट्टी भराई
कार्य किया गया है आस-पास के ग्रामीणों
से पूछ-ताछ करने पर पता चला कि यह मिट्टी
भराई कार्य राकेश कु० सिंह, पिता-प्रमोद सिंह, ग्राम-
चातर, थाना-अलौली द्वारा पेट्रोल पम्प खोलने
हेतु किया गया है। यह पथ संरक्षित क्षेत्र है

अतः श्रीमान को सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन
Vikas Kumar (F.g.)
30.05.2023
Alauli

वन पथ अतिक्रमण 2500 sq.feet
का मिट्टी भराई

बयान

मैं राजेश कुमार पिता - प्रमोद सिंह ग्रा० पो० - चातर, थाना - अलौली, जिला खगड़िया का निवासी हूं मेरे नाम से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का लाइसेंस मिला है मेरे द्वारा मूल बस रोड किनारे आंशिक रूप से मिट्टी का कार्य किया गया। मुझे जानकारी नहीं रहने के कारण हुआ है मैं आगे से इस तरह की भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करूंगा। श्रीमान से निवेदन है कि मुझे क्षमा करने का कृपा करें।

राजेश कुमार
पिता - प्रमोद सिंह
ग्राम+पो० - चातर
थाना - अलौली
जिला - खगड़िया
मो० - 9102985016

पार्टी के द्वारा बताया गया बयान
राज कुमार सिंह
06-06-2023
[illegible] पाल
खगड़िया

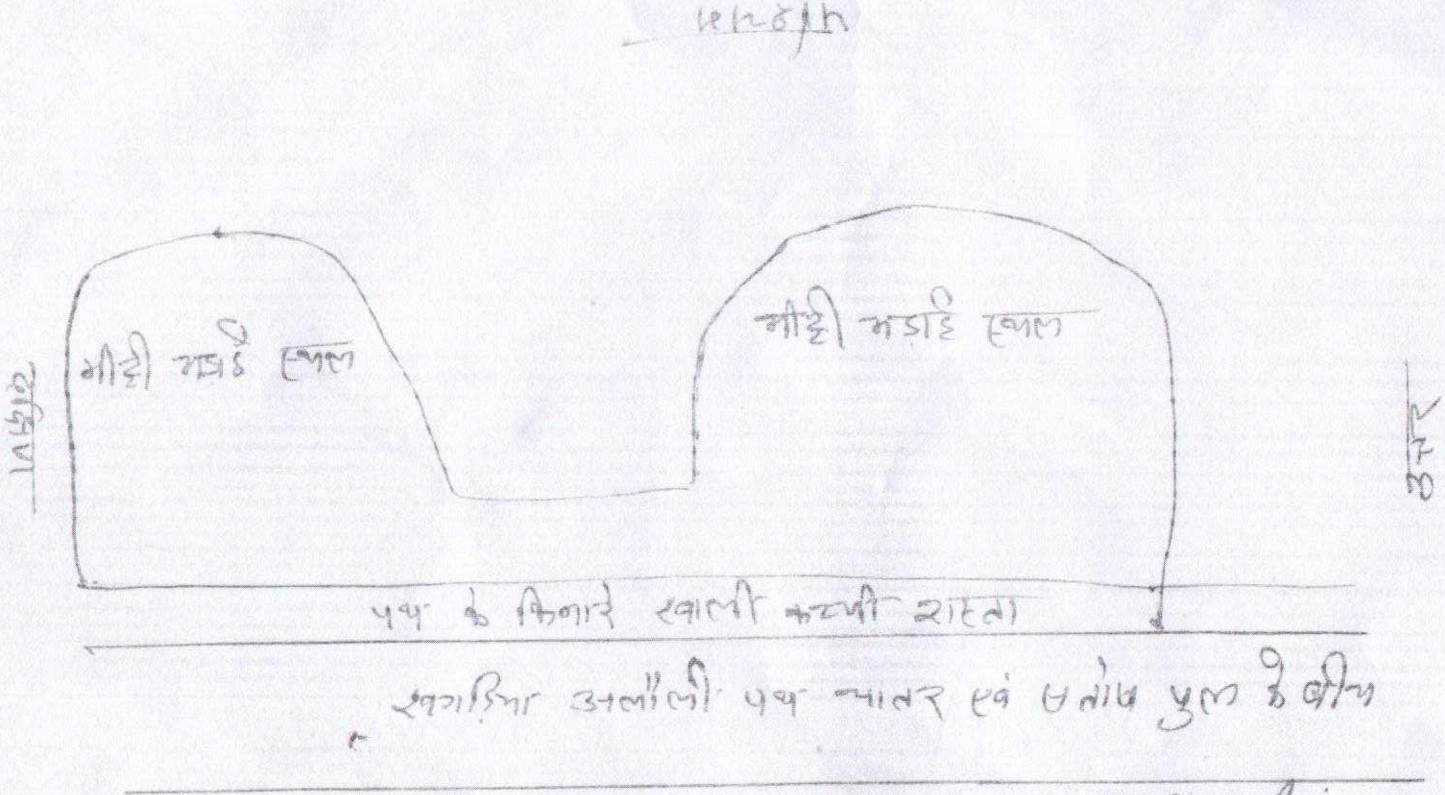

राजकुमार सिंह
ग्रा० चातर
खगड़िया

सेवा में

वन प्रमंडल पदाधिकारी
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय।

महाशय

वनपाल के द्वारा समर्पित अभियोजन प्रतिवेदन के आधार पर आरोप का जाँच किया सही पाया।

अतः अनुरोध है कि अभियुक्त पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
वन क्षेत्र
14.7.20

Range Officer of Forests
Khagaria

BIHAR FOREST PR No. 018/23-24.

Divisional Forest Officer,Begusarai Forest Division, Begusarai

Offence Report No. 1302 Dated 31/05/2023

Range Office, of Forest, Khagaria Forest Range.

Memo No....149........

Dated ...14-07-2023...

Forwarded to the Divisional Forest Officer, Begusarai Forest Division, Begusarai with a copy of the seizure Report on application for issue of process.

Range Officer of Forest.
Khagaria Forest Range

Memo No -------------------- Dated ----------------

Forwarded to the Chief Judicial Magistrate, Khagaria with an application for issue of process and following documents.

(30)

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

"बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय"

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय

प्रथम तल, नगरपालिका मार्केट, नगर निगम कार्यालय के सामने, बेगूसराय - 851101, Mob :- 8210505454 (Email : dfobegusarai@gmail.com & divfobegusarai-bih@gov.in)

पत्रांक-- 354, बेगूसराय, दिनांक-- 1/3/2023

प्रेषक,

रविन्द्र कुमार रवि,बि०व०से०
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
कार्यालय-- प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग,
बिहार, पटना।

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना — प्राप्ति संख्या 229 दिनांक 07/03/2023 — कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

विषयः-- श्री राजेश कुमार द्वारा खगड़िया जिलान्तर्गत भदास मौजा के खाता सं0-- 1008, खेसरा सं0-- 3586, थाना -- अलौली में चातर चौक संतोष ब्रिक पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 के तहत 0.024 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंगः-- आपका पत्रांक-- 962 दिनांक-- 08.11.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-- FP/BR/Others/117859/2020(Pt.)/637 दिनांक-- 21.10.2022 द्वारा की गयी पृच्छाओं का निराकरण प्रतिवेदन कंडिकावार निम्नवत है:--

1. प्रस्तावित अपयोजन स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-- 24.02.2023 को किया गया जिसकें क्रम में आगम एवं निगम पथ के आंशिक भाग में मिट्टी भड़ाई पाया गया है। जिससे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लधंन का मामला वनता है।
2. वेटलैण्ड संबंधित मामला नही है।

अतएव उक्त निराकरण के आलोक अधोहस्ताक्षरी द्वारा जॉच में ली गयी फोटो की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0--यथोक्त।

विश्वासभाजन,
1.3.23
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय

I:\Arvind\FC Act\Letter\FC-879.doc